



संदर्भ सं. राबैं.एमसीआईडी/1855/डीएवाई-एनआरएलएम-पॉलिसी/2023-24  
परिपत्र सं. 15/MCID -01 / एमसीआईडी - /2024  
08 फरवरी 2024

1. अध्यक्ष  
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
2. प्रबंध निदेशक  
सभी राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

**मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और वर्ष 2022-23 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सहायता योजना - संशोधन**

कृपया उपर्युक्त विषयपर दिनांक 26 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र संख्या राबैं.एमसीआईडी/ 842/डीएवाई-एनआरएलएम/2022-23 का संदर्भ लें. इस संबंध में, हम आपका ध्यान अनुबंध II के खंड (xii),(xiii) और (xiv) की ओर आकर्षित करते हैं. डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा बैंको के साथ एसएचजी कोड साझा करने में देरी के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंको ने अपना अंतिम दावा प्रस्तुत नहीं किया. इसलिए ग्रामीण विकास विभाग (आरएल डिवीजन), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पुनः अनुरोध के अनुसार, उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध II के खंड (xii), (xiii) और (xiv) में किए गए संशोधन निम्ननुसार हैं:

खंड सं.	परिपत्र संख्या 207 दिनांक 25 सितंबर 2023 के अनुसार मौजूदा दिशानिर्देश	भारत सरकार, एमओआरडी द्वारा संशोधन प्रस्तावित/अनुरोधित
(xii)	डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की दर से दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण पर दी गई ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए सभी बैंकों को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर (अर्थात् 30 जून 2022, 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 तक) दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ दावा प्रमाण पत्र (मूल रूप से) होना चाहिए, जो ब्याज सहायता के दावों को सही और सत्य के रूप में प्रमाणित करता है. मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावे वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत किए जा सकते हैं. हालाँकि, बैंको से पूरे वित्तीय वर्ष यानि वित्त वर्ष	डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की दर से दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण पर दी गई ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए सभी बैंकों को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर (अर्थात् 30 जून 2022, 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 तक) दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ दावा प्रमाण पत्र (मूल रूप से) होना चाहिए, जो ब्याज सहायता के दावों को सही और सत्य के रूप में प्रमाणित करता है. मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावों का निपटान एमओआरडी (MoRD) द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र के बिना किया जा सकता है. हालाँकि, बैंकों से पूरे वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 0084, • फ़ैक्स: +91 22 2652 8141 • ई मेल: mcid@nabard.org

Micro Credit Innovations Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 0084 • Fax: +91 22 2652 8141 • E-mail: mcid@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

	2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जनवरी 2024 तक जमा करना आवश्यक है.	2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र <b>31 मार्च 2024</b> तक जमा करना आवश्यक है.
(xiii)	दावा प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक VI और VII के अनुसार होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित सभी दावे बैंकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित 31 जनवरी 2024 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए.	दावा प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक VI और VII के अनुसार होगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित सभी दावे बैंकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित <b>10 मार्च 2024</b> तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए.
(xiv)	वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए संवितरण से संबन्धित कोई भी शेष दावे और वर्ष के दौरान शामिल नहीं किए गए, उन्हें अलग से समेकित करें और 'अतिरिक्त दावे' के रूप में चिन्हित करें तथा इसे वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित कर नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिक से अधिक 31 जनवरी 2024 तक प्रस्तुत करें.	वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए संवितरण से संबन्धित कोई भी शेष दावे और वर्ष के दौरान शामिल नहीं किए गए, उन्हें अलग से समेकित करें और 'अतिरिक्त दावे' के रूप में चिन्हित करें तथा इसे वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित कर नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिक से अधिक <b>10 मार्च 2024</b> तक प्रस्तुत करें.

2. पूर्व में जारी उपरोक्त परिपत्र और संशोधन (11 नवंबर 2022) में अन्य निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे.

भवदीया,

*eSign*

Signed by: LALFAKZUALI LEIVANG  
Organization Unit: CHIEF GENERAL  
MANAGER  
Organization Name: THE NATIONAL  
BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL  
DEVELOPMENT  
Date: 08-Feb-2024 (04:27 PM)